FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प ओलवी

वादी **बनाम** **प्रतिवादी**

श्रवण कुमार — राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या–172/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
26.11.2021	प्रार्थी श्रवण कुमार पुत्र डूंगरराम जाति माली निवासी ओलवी तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर **कैम्प ओलवी** में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम ओलवी तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 418 रकबा 3.9884 हैक्टेयर खातेदारी भूमि वादी की आयी हुयी है। पूर्व में उपरोक्त भूमि सोहनी देवी पत्नी खाकी दास जाति वैष्णव निवासी आलवी तहसील बिलाड़ा की थी। खातेदार सोहनी देवी से वादी श्रवणकुमार ने सन् 2006 को उक्त भूमि को खरीद कर लिया जब बैचाननामा को निष्पादित कराया गया तब वादी का नाम बैचाननामा में श्रवणराम दर्ज कराया उक्त बैचाननामा का नामान्तकरण स्वीकृत किया गया लेकिन हल्का पटवारी न नामान्तकरण में मेरा नाम श्रवणकुमार के बजाय श्रवणराम दर्ज कर दिया। वादी के सारे सरकारी दस्तावेजात श्रवण कुमार के नाम से जारी किये हुए है। वादी का राजस्व रेकर्ड मे श्रवण राम लिख देने से वादी अपनी भूमि पर सरकारी सहायता प्राप्त करने से वंचित हो रहा है। इस कारण वादी को यह दावा पेश करना पड रहा है। अन्त में निवेदन किया कि उक्त खातेदारी भूमि में श्रवणराम पुत्र डूंगरराम के स्थान पर श्रवण कुमार पुत्र डूंगरराम को खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी श्रवण कुमार ने अपने वाद के समर्थन म अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:04:21 IST
Reason: SelfAttested

	दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी श्रवण कुमार का आधार कार्ड, जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 खसरा नम्बर 418 (खाता संख्या नया 606) आदि को पेश किये है। कार्यालय ग्राम पंचायत ओलवी द्वारा जारी किया गया विरासत प्रमाण पत्र को पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरा नाम उपरोक्त खातेदारी भूमि में श्रवणराम गलत लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मै कोई भी भूमि के सम्बंध में सरकारी सहायता प्राप्त करने से वंचित हो रहा हूं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम श्रवण कुमार के बजाय श्रवण राम दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम ओलवी तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 418 रकबा 3.9884 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में श्रवणराम पुत्र डूंगरराम के स्थान पर श्रवण कुमार पुत्र डूंगरराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम ओलवी में खुले में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:04:21 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प ओलवी

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादी**
श्रवण कुमार पुत्र डूंगरराम जाति माली निवासी ओलवी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 172/2021

निर्णय **दिनांक** :– 26.11.
2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादीगण स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या–1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"ा होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम ओलवी तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 418 रकबा 3.9884 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में श्रवणराम पुत्र डूंगरराम के स्थान पर श्रवण कुमार पुत्र डूंगरराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:04:21 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – **मुबलिग** – **बाबत्** –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक —की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.11. 2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :—इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:04:21 IST
Reason: SelfAttested